लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5488

26 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम लिमिटेड

5488. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

श्री पी. के. कुनहालिकुट्टीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को कुछ कथित जांचों के निवेदन के आधर पर भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम द्वारा छोटे सर्राफा व्यापारियों के भुगतान को रोकने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों से छोटे सर्राफा व्यापारियों को लगातार परेशान करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सीवीसी ने छोटे सर्राफा व्यापारियों को एचएचईसी द्वारा भुगतान में विलंब जिसे अब जारी किया जा चुका है, के कारणों की जांच की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भुगतान न करके सीवीसी के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों का उल्लंघन करने वाले एचएचईसी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सर्राफा व्यापारियों के भुगतान का ब्यौरा क्या है और एचएचईसी को उसके बकाए के निपटान हेतु सीवीसी द्वारा जारी अनिवार्य दिशा-निर्देश यदि कोई हो तो क्या है; और

(घ) क्या एचएचईसी छोटे सर्राफा व्यापारियों के भुगतान बकायों को किसी अनुसूचित बैंक में जमा करने पर विचार करेगा जिससे उद्यमियों को उनके बकाए का निपटान होने तक उस पर मासिक ब्याज क्षतिपूर्ति के रूप में मिल सके और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): जी नहीं, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सुनिश्चित किया है कि उन्हें हैंडीक्राफ्ट्स तथा हैंडलूम्स एक्सपोर्ट आफ इंडिया लि. (एचएचईसी) के द्वारा छोटी बुलियन पार्टियों के भुगतान रोकने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) ने मैसर्स एडलवीस कोमोडिटीज लि. (ईसीएल) तथा आर्यवृत्त कोमोडिटीज प्रा. लि. (एसीपीएल) की बुलियन पार्टियों के विरुद्ध दो मामले दर्ज किए हैं। जिन बुलियन पार्टियों के भुगतान एचएचईसी द्वारा रोके गए हैं, उन्होंने ईसीएल तथा एचएचईसी के बीच हस्ताक्षरित समझौते के समान समझौते के अनुसार आयात की प्रक्रिया का अनुसरण किया है।

*****